संख्या 11022/4/82- अ0भा0से0- 11

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 8 -5-1984

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव

विषय:- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उच्च स्तर के पदों पर नियुक्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत ।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 6 मार्च, 1984 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(16)-स्थापना(पी)-11(1)/82 की एक-एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि इस आदेश की विषय वस्तु को राज्य के सभी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की जानकारी में लाया जाए ।

भवदीय,

(श्रीमती अलका काला)

उप सचिव, भारत सरकार

प्रति:

1- गृह मंत्रालय
(यू0टी0एस0 अनुभाग)

2- गृह मंत्रालय(आई0पी0एस0 अनुभाग)

3- कृषि व सिंचाई मंत्रालय (आई॰एफ॰एस॰ अनुभाग)

(श्रीमती अलका काला)

उप सचिव, भारत सरकार

संख्या 2(16)-स्थापना(वेतन-II)/82
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग
नई दिल्ली, दिनांक 6-3-1984

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उच्च स्तर के पदों पर नियुक्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी रियायत की स्वीकार्यता ।

मुझे इस विभाग के दिनांक 27 जुलाई, 1981 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 11(3)/स्थापना(वेतन-II)/80 के पैरा 3() का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में प्रतिनियुक्त के समय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी को उपक्रम में उसी स्तर के कर्मचारी को यथा-स्वीकार्य रियायत की अनुमति दी जाएगी ।

2- जब इस आशय के अभ्यावेदन दिए गए हैं कि जब कि केन्द्रीय सरकार के अधीन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत उपलब्ध है, सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में यह रियायत उपलब्ध नहीं है ।

3- तदनुसार उक्त मामले पर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) तथा सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के परामर्श से विचार किया गया है । अब यह निर्णय किया गया किया है कि जब कोई केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी किसी सरकारी क्षेत्र के किसी ऐसे उपक्रम में किसी उच्च स्तर के पद पर प्रतिनियुक्त किया जाता है जहां छुट्टी यात्रा रियायत उपलब्ध नहीं है, तब वह अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की भांति ही छुट्टी यात्रा रियायत के लिए पात्र होगा बशर्ते कि संबंधित उपक्रम में बाह्य सेवा पर कर्मचारी को रखने के आदेशों में छुट्टी यात्रा रियायत की स्वीकार्यता के उपबन्ध समाविष्ट कर दिए गए हैं । जिन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रियायत उपलब्ध है, वहां प्रतिनियुक्ति पर गए हुए सरकारी कर्मचारी केवल उन्हीं रियायतों के हकदार होंगे जो रियायतें वहां उपलब्ध हैं । जहां तक उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का संबंध है जो पहले से ही ऐसे उपक्रमों में

2/-

बाह्य सेवा पर हैं जहां यह रियायत उपलब्ध नहीं है, वहां संबंधित उपक्रमों के परामर्श से उनकी प्रतिनियुक्ति की शर्तों में इस आशय के उपयुक्त संशोधन करने के लिए कार्रवाई की जाए कि रियायत के लिए उन्हें पात्र बनाया जा सके । किन्तु, ऐसे सभी मामलों में रियायत का खर्च संबंधित उपक्रमों द्वारा वहन किया जाएगा ।

4- जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए गए हैं ।

ह0/-

(एस0 हरिहरन)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि आदि ।